

उत्तर प्रदेश दीवानी न्यायालय लिपिकवर्गीय सेवा संघ नियमावली

उत्तर प्रदेश सरकार के शासनादेश संख्या 1083/V-VII-537, दिनांकित अगस्त 27, 1928 एवं 99/VII-137, दिनांकित जनवरी 22, 1929 द्वारा विधिवत् मान्यता-प्राप्त तथा उत्तर प्रदेश (सेवा संघ की मान्यता) नियमावली, 1979 के अन्तर्गत जारी अधिसूचना संख्या 2917/XLIII-I-ER-79, दिनांक जून 02, 1979 व अधिसूचना संख्या दिनांक मार्च 27, 1981 द्वारा यथासंशोधित के द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है और मान्यता वापस लिये जाने तक जारी रहेगी।

1- नाम एवं क्षेत्र

(अ) संघ "उत्तर प्रदेश दीवानी न्यायालय लिपिकवर्गीय सेवा संघ" कहलायेगा।

"दीवानी न्यायालय कर्मचारी संघ, उत्तर प्रदेश"

(ब) संघ की उत्तर प्रदेश की समस्त न्यायाधीशता (Judgeship) में इसकी शाखायें होंगी, जिन्हे 'शाखा संघ' कहा जायेगा, 'उप-शाखा' उत्तर प्रदेश की सम्पूर्ण दूरस्थ न्यायालयों में, जो जिला ईकाईयों के शाखा संघों के कार्यों से जुड़ी होंगी तथा ऐसी ईकाईयां अधीनस्थ होंगी व संघ अथवा केन्द्रीय समिति की स्वेच्छा पर होंगी, तथा अध्यक्ष एवं उसके प्रान्तीय कार्यकारी द्वारा नियंत्रित संघ की कामना के विपरीत कार्य नहीं करेंगी।

2- कार्यालय

संघ का मुख्यालय लखनऊ शहर में अथवा ऐसे स्थान पर जहां अध्यक्ष सामान्यतः महासचिव की सहमति से रहते हों, पर होगा।

3- लक्ष्य एवं उद्देश्य

संघ के लक्ष्य एवं उद्देश्य होंगे:-

- अ- सदस्यों में सहयोग की भावना, साथी-भावना की भावना एवं बेहतर सामाजिक सम्बन्धों को स्थापित करने के लिये।
- ब- विभाग के नियमों एवं विनियमों के ज्ञानार्जन करके एवं राष्ट्र के सेवा और वफादारी की स्वस्थ परंपरा बनाने और बनाए रखने के लिए उच्च स्तर की अखंडता बनाए रखने के लिए व्यवस्थित कार्य करके क्षमता संवर्धन करना।
- स- दीवानी न्यायालय लिपिकवर्गीय सेवा संघ, उत्तर प्रदेश के सदस्यों की राय व्यक्त करने के लिये अंग होना, उत्तर प्रदेश के दीवानी न्यायालय विभाग में कार्यरत व्यक्तियों को व्यवस्थित और एकजुट करने के लिए और राज्य सरकार के माननीय उच्च न्यायालय के साथ उनके कार्य को बढ़ावा देना, जैसा कि मामला हों, उचित और अनुशासित व्यवहार में उनकी शिकायतों का निवारण करने के लिए न्यूनतम आदेश कराना।
- द- सेवा परिस्थितियों को प्रभावित करने वाले मामलों, संघ के सदस्यों के सुविधा पर विचार करना तथा उक्तानुसार प्राप्त करने के लिये शिकायतें, यदि कोई हो, को हटाने के लिये कदम उठाना।
- य- लिपिकवर्गीय कर्मचारीगण की सेवा शर्तों के साथ जुड़े कानूनी मामलों और अन्य मामलों के सुधार के लिये सुझाव देने लिये अन्य मामलों पर विचार करना।
- र- अधीनस्थ न्यायालय के कर्मचारीगण एवं अधिकारीगण के मध्य बेहतर सम्बन्धों को सुरक्षित करना एवं सार्वजनिक कर्मचारियों द्वारा कर्तव्यों के ईमानदार और कुशल प्रदर्शन के लिये उचित माहौल बनाने में मदद करने के लिये भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाना। अपने सदस्य के लिये आचार संहिता तैयार करना और कोड लागू करने के लिये उपयुक्त साधन तैयार करना ताकि जनता में विभाग का विश्वास में कमी से एवं न्यायपालिका एवं सरकार को अपमान से बचाया जा सके।

4- सदस्यता

अ- उत्तर प्रदेश के दीवानी न्यायालयों के समस्त लिपिकवर्गीय कर्मचारीगण को संघ का सदस्य बनने का हकदार होगा, जैसे कि विभाग में योगदान करता है, वह संघ द्वारा निर्धारित मासिक सदस्यता के भुगतान पर संघ में शामिल होने का हकदार होगा, बशर्ते वह संघ द्वारा समय-समय पर बनाये गये नियमों एवं उप-नियमों का पालन करने के लिये सहमत हों और जब तक संघ द्वारा अन्यथा घोषित नहीं किया जाता है, तब तक संघ के मामले के लिए किसी भी आरोप या अत्याचार के अधीन होने के अलावा, सक्रिय सेवा में सदस्य बने रहेंगे।

ब- निरन्तर छः माह तक मासिक सदस्यता का भुगतान करने में विफल कोई सदस्य संघ शाखा का सदस्य नहीं रह जायेगा। संघ शाखा किसी भी लाभ के हकदार होंगे, जो संघ अपने सदस्यों को देने का निर्णय ले सकता है, जब तक कि वे कम से कम छह महीने के लिये सदस्य हों और सभी बकाए का भुगतान किया हो। संघ के सदस्य, जिस पर बकाया हो, को किसी भी लाभ का हकदार नहीं होगा, यथा मतदान का अधिकार, प्रान्तीय कार्यकारिणी एवं संघ शाखा हेतु निर्वाचन में उम्मीदवारी व्यक्त करना, संघ सभा को सम्बोधित करना, उपर्युक्त के रूप में लाभ देने के लिये अपने किसी भी सदस्य को किसी भी असाधारण परिस्थितियों के साथ पत्राचार करना।

स- संघ के प्रान्तीय अध्यक्ष द्वारा अथवा प्रान्तीय अध्यक्ष की स्वीकृति पर संघ शाखा के अध्यक्ष द्वारा किसी भी सदस्य की सदस्यता मासिक सदस्यता का भुगतान करने में असफल होने पर, जिला ईकाई अथवा संघ की सामान्य एवं सरल कार्यप्रणाली में बाधा डालने पर, संघ द्वारा तैयार की गयी आचार संहिता में जारी किए गए नियमों एवं निर्देशों का पालन न करके संघ शाखा के पदाधिकारियों से, उनको हतोत्साहित करने एवं उनकी छवि को धूमिल करने के निश्चय से, दुर्व्यवहार करने की संघ शाखा से शिकायत प्राप्त होने पर, संघ के प्रति एवं सेवा के प्रति ईमानदार न होने पर एवं संघ की गोपनीयता

को भंग करने पर किसी भी समय समाप्त, निलम्बित अथवा बन्द की जा सकती है।

बशर्ते कि ऐसे विश्वासघाती एवं दोषी सदस्य को किसी भी धोखाधड़ी के लिये अपने आचरण को समझाने या संघ के हित के विरुद्ध कार्य करने के लिए पर्याप्त अवसर दिया गया है।

अध्यक्ष द्वारा पारित कोई भी आदेश इस संबंध में अन्तिम होगा, परन्तु प्रान्तीय कार्यकारिणी द्वारा मानवतावादी आधार पर फिर से दोबारा या संशोधित किया जा सकता है।

समिति के 3/4 के बहुमत में होने पर दोषी सदस्य द्वारा अपने वास्तविक आचरण और व्यवहार के साथ सभा को संतुष्ट कर सकता है एवं भविष्य में वफादार होने के लिए भरोसा दिला सकता है। ऐसे आदेशों को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाएगी, किन्तु केन्द्रीय कार्यकारिणी द्वारा त्रि-सदस्यीय ट्रिब्यूनल का गठन किया जा सकता है, यदि किसी सदस्य अथवा सदस्यों के समूह के द्वारा संघ से अनुरोध करता है कि वह मामलों में जाँच करें एवं अन्तिम निर्णय प्रदान करें। ट्रिब्यूनल का एक सदस्य प्रान्तीय अध्यक्ष द्वारा नामित किया जायेगा तथा अन्य अवशेष को प्रान्तीय कार्यकारिणी के कार्यकारी सदस्यों में से नामित किया जायेगा।

द- संघ के प्रत्येक सदस्य को निम्न शर्तों का पालन करना होगा, अर्थात्-

1- वह कार्यालयध्यक्ष अथवा माननीय उच्च न्यायालय को ऐसे किसी भी मामलों के सम्बन्ध में, जो स्थानीय ईकाई के अध्यक्ष अथवा सचिव के लिए सामान्य हित हेतु समिति द्वारा हल किया जा रहा है, किसी भी प्रतिनिधित्व या प्रतिनियुक्ति को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से नहीं भेजेगा।

2- वह सेवा मामलों से सम्बन्धित एक व्यक्तिगत सरकारी कर्मचारी के मामलों को अनुमोदन या समर्थन नहीं करेगा।

- 3— वह संघ के सदस्यों के हित एवं कल्याण के प्रति प्रतिकूल गतिविधियों में हिस्सा नहीं लेगा।

यदि कोई सदस्य उपर्युक्त शर्तों का पालन नहीं करता है या ऐसी गतिविधियों में शामिल पाया जाता है, जैसा कि पूर्ववर्ती धाराओं में उल्लिखित है, तो उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है और यदि यह जांच में सिद्ध होता है कि उसका कार्य संघ के हितों के प्रति विनाशकारी था, तब उसकी सदस्यता समाप्त हो जायेगी या निलम्बित हो सकती है या अध्यक्ष द्वारा निर्धारित किए गए नैतिक दण्ड से दण्डित किया जाएगा। संघ शाखा सदस्यों के हित में या प्रस्ताव के माध्यम से संज्ञान में ला सकता है, अगर कोई सदस्य सदस्यों के हितों के लिए प्रतिकूल रूप से कार्य कर रहा हो या ऐसी किसी भी कार्यवाही में लिप्त पाया जाता है, तो संघ द्वारा ही स्वयं ऐसे सदस्य को दण्डित किया जा सकता है।

नोट— किसी भी धर्म, वर्ग, जाति या संप्रदाय के आधार पर संघ राजनीति और सांप्रदायिक मामलों में कोई हिस्सा नहीं लेगा।

5— संगठन

अ— संघ के कामकाज की सुविधा के लिये वहाँ होगा:—

1— अपने समस्त पदाधिकारियों से मिलकर प्रान्तीय संघ की एक कार्यकारी समिति तथा सम्मेलन में प्रत्येक प्रतिनिधित्व संघ शाखा से एक सदस्य, जो उस संघ शाखा द्वारा विधिवत चयनित हो या नामित हो अथवा सम्मेलन में उपस्थिति हेतु प्रतिनिधि।

2— संघ की शाखाओं को जोन में विभाजित किया जाएगा, प्रत्येक जोन जो शाखा संघ के ऐसे सदस्य से मिलकर होगा, जिसे उचित कार्य करने के लिये योग्य माना जाता है या कार्यकारी समिति द्वारा तय किया जाता है।

कार्य समिति संघ के किसी भी सदस्य को विशेष निमंत्रण जारी करने के लिये अधिकृत होगी, यदि आवश्यक हो तो।

ब- संघ के निम्नलिखित पदाधिकारी होंगे:-

क्र. सं.	पद नाम	संख्या
1.	अध्यक्ष	एक
2.	उपाध्यक्ष	चर
3.	महासचिव	एक
4.	संयुक्त सचिव	दो
5.	संगठन सचिव	एक
6.	सांस्कृतिक सचिव	एक
7.	कोषाध्यक्ष	एक

नोट- सेक्रेटरी के लिये हिंदी शब्द 'मन्त्री' का प्रयोग तुरन्त बन्द किया जाएगा और शब्द 'सचिव' का उपयोग अब से किया जाएगा।

बशर्ते कि निर्वाचित अध्यक्ष को अपने काम की सहायता हेतु अपने स्वयं के जिले के सक्रिय सदस्यों में से 'कार्यालय सचिव' के रूप में नामित एक तृतीय संयुक्त सचिव नियुक्त करने की शक्ति होगी और इस तरह के कार्यालय सचिव अध्यक्ष द्वारा निर्देशित परिपत्र एवं पत्र आदि जारी कर सकते हैं। उक्त कार्यालय सचिव अध्यक्ष की इच्छा पर कार्य करेगा, जिसने उसे नियुक्त किया है और संघ के अन्य संयुक्त सचिवों के समान अधिकार और विशेषाधिकार होंगे।

इसके अतिरिक्त सदस्य, जो संघ शाखा में अध्यक्ष पद हेतु अथवा प्रान्तीय सम्मेलन में प्रान्तीय पदाधिकारियों के पदों, जैसा कि निर्वाचन के नियम 5 के खण्ड (ब) में विस्तृत रूप से वर्णित किया गया है, के लिये अपनी उम्मीदवारी दे रहा है, या तो एक वास्तविक संवर्ग में धारणाधिकार रखने वाला स्थायी कर्मचारी होगा या दीवानी न्यायालय विभाग में कम से कम दस वर्षों की नियमित सेवा पूर्ण कर चुका हो, जो भी अधिक हो। यदि नामांकन ऐसे सदस्य द्वारा भरा जाता है, जो न तो एक स्थायी कर्मचारी है और न ही दस वर्ष से अधिक की सेवा

का कार्य किया है, स्थानीय ईकाई के चुनाव में अथवा प्रान्तीय सम्मेलन में इस प्राविधान की शक्तियों के आधार पर निर्वाचन अधिकारी के रूप में कार्यरत प्राधिकारी द्वारा अस्वीकृत कर दिया जायेगा। संघ यह देखेगा कि संघ की गरिमा को बनाये रखने के लिए वरिष्ठ एवं अनुभवी सदस्य ऐसे महत्वपूर्ण पदों के चुनाव में खुद को पेश करने के लिए आगे आए।

स- कार्यकारी समिति के सदस्य एवं संघ के पदाधिकारी अगले चुनाव तक बने रहेंगे, जब तक कि कार्यकारी समिति द्वारा अन्यथा तय नहीं किया जाता।

द- कार्यालय के पदाधिकारियों या संघ के प्रान्तीय कार्यकारिणी के सदस्यों में से किसी भी आकस्मिक रिक्ति को शेष अवधि के लिये महासचिव या कार्यकारी समिति के परामर्श से अध्यक्ष द्वारा भरा जायेगा।

य- कार्यकारिणी समिति के सभी प्रश्नों का निर्णय बहुमत से किया जाएगा।

र- उपर्युक्त खण्ड (ब) में वर्णित पदाधिकारियों के अतिरिक्त एक लेखा परीक्षक और क्षेत्रीय संगठन सचिव होंगे, जो कार्यकारी समिति के सदस्य नहीं होंगे।

6:-

अ- कार्यकारी समिति इन नियमों के नियम 7 के खण्ड अ से द में वर्णित कार्यों के अतिरिक्त इस प्रकार के कार्य का निपटान करेगा, जो प्रत्यक्ष रूप से दृष्टिगोचर हो सकते हैं अथवा संघ शाखाओं से या कार्यकारी समिति से प्राप्त हो सकते हैं। यह सम्मेलन में प्रस्तुत किये जाने वाली वार्षिक रिपोर्ट और खाते पर भी विचार कर सकती है।

ब- सम्मेलन में दिए गए प्रस्तावों को पारित करने के लिए प्रान्तीय कार्य समिति जिम्मेदार होगी। यह ऐसे मामले भी निपटाएगी, जिस पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। कार्यकारिणी की सभी कार्यवाही

क्षेत्रीय संगठन सचिवों के कार्य की देख भाल करेंगी और अपने कार्य के नियम-य के सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश जारी करेगी। आवश्यक समझे जाने पर कार्यकारी समिति की बैठक बुला सकती है।

स- प्रान्तीय संघ की कार्यकारी समिति को त्रै-मासिक और कार्यकारी अधिकारियों को अर्धवार्षिक या सम्मेलन से पूर्व एक वर्ष में कम से कम एक बार मिलना चाहिए।

द- एक कार्यकारी अधिकारियों की समिति की बैठक या कार्य समिति की बैठक का कोरम कैबिनेट का एक-तिहाई होगा, जिसमें कम से कम तीन गैर-पदाधिकारी शामिल होंगे। सामान्य बैठक का कोरम संघ शाखा के एक तिहाई प्रतिनिधि होंगे एवं सामान्य बैठक में आधा होगा।

य- कार्यकारी अधिकारियों की समिति, यदि आवश्यक हो, समय-समय पर सामान्य बैठकें आयोजित कर सकती है।

र- संघ का सम्मेलन सामान्यतया: पिछले सम्मेलन के दो वर्षों के बाद ऐसे स्थान एवं तिथि को आयोजित किया जायेगा, जिसे गत बैठक में अथवा कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित किया जाएगा। इस प्रकार के सम्मेलन पर संघ शाखा ईकाई और इसमें प्रतिभाग करने वाले प्रतिनिधि द्वारा वहन किए जाने वाले अनावश्यक खर्च से बचने के लिए सम्मेलन वार्षिक रूप से आयोजित नहीं किया जा सकता है।

ल- क्षेत्रीय संगठन सचिव अपने क्षेत्र से संबंधित क्षेत्र में संघ शाखाओं के आयोजन हेतु और वार्षिक व विशेष सदस्यता के संग्रह हेतु उत्तरदायी होगा और जिसके लिए वह अपने क्षेत्र में संघ शाखाओं को आवश्यक निर्देश जारी करेगा।

व- सम्मेलन प्रत्येक क्षेत्र में पूर्णतः चक्रानुक्रम द्वारा आयोजित किया जाएगा और क्षेत्रीय सचिव ऐसे संघ शाखाओं, जो कार्यकारी समिति द्वारा अनुमोदित हों, में अपनी व्यवस्था हेतु उत्तरदायी होगा। सम्मेलन आयोजित करने के सभी व्यय को उस क्षेत्र के शाखा संघों द्वारा वहन

किया जाएगा, जिसके लिए खातों का सही रखरखाव किया जाएगा और कार्यकारी समिति को जांच और अनुमोदन के लिए जमा किया जाएगा।

इस बात का प्रमाणन किया जाए कि सम्मेलन का प्रबन्ध एवं पर्यवेक्षण प्रान्तीय कार्यालय पदाधिकारियों, विशेष रूप से महासचिव या उनकी ओर से सम्मेलन में सही प्रकार से कार्य करने के उद्देश्य से नामित किए गए किसी अन्य सचिव द्वारा किया जाएगा और सम्मेलन में शामिल होने के लिए विशिष्ट अतिथि और मुख्य अतिथि के आवश्यक व्यवस्थाएं देखेंगे।

श- यदि क्षेत्रीय संगठन सचिव यह महसूस करता है कि वांछित प्रगति किसी शाखा विशेष का स्वयं भ्रमण किये बिना प्राप्त नहीं की जा सकती है, जो वह अध्यक्ष या महासचिव को पूर्व-सूचना देकर ऐसा करेगा और जल्द ही परिणाम के विषय में रिपोर्ट देगा। वह केन्द्रीय सभा के अनुमोदन से ईकाईयों के उचित संगठन के लिए क्षेत्रीय सम्मेलन भी आयोजित कर सकते हैं।

7:-★कार्यकारिणी समिति की शक्ति एवं कार्य:-

कार्यकारिणी समिति को निम्नलिखित शक्तियाँ होंगी:-

अ- संघ के समुचित कार्य करने के लिए यदि आवश्यक हो तो, सम्मेलन में अनुमोदन के अधीन किसी भी नियम, उपनियम को बदलना या निरस्त करना या संघ शाखा की कार्यवाही को चेतावनी देना अथवा अस्वीकार करना।

ब- इस प्रकार से मामलों का प्रबन्धन और प्रशासन करना या जहां आवश्यक हों, संघ के हितों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिनिधित्व करना।

स- कोई भी बिन्दु, जहां नियम अस्पष्ट हों, का आगामी सम्मेलन में स्वीकृत के अधीन निर्धारण करना।

- द- सम्मेलन में अनुमोदन के अधीन संघ के नियमों के साथ सुमेलित उप-नियमों को तैयार करना।
- य- नियम 11 में के अनुसार चन्दा को एकत्र करने के लिए कोषाध्यक्ष या क्षेत्रीय सचिवों को निर्देशित करना।
- र- नियम 7य, 8द और य के तहत संयुक्त सचिवों और क्षेत्रीय सचिवों को समय-समय पर निर्देश जारी करना।
- ल- संघ के सदस्यों की सेवा शर्तों को प्रभावित करने वाले मामलों पर विचार करने के लिए अपने सदस्यों के सामान्य सेवा हितों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्थानीय ईकाई के सदस्यों की शिकायतों का निवारण करना और अनुशासनात्मक मामलों के बारे में चर्चा करना और निर्णय देना। संघ के हितों के विरुद्ध विद्रोहियों की गतिविधियों में शामिल सदस्यों और स्थानीय ईकाईयों के खिलाफ कार्यवाही करना और इस प्रकार के प्रस्तावों और अनुशासित व्यवहार को उच्च न्यायालय और सरकार को प्रस्तुत करने हेतु पारित करना, यदि ऐसा कोई मामला हो तो।

8:- पदाधिकारियों के कर्तव्य:-

अ- अध्यक्ष

- 1- संघ एवं कार्यकारी समिति की सभी बैठकों की अध्यक्षता करना, सभी कार्यवृत्तों पर हस्ताक्षर करना एवं एक निर्णायक मत देने की अनुमति देना, संघ के कामकाज का नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण करना।
- 2- सामान्य एवं विशेष बैठक, जैसी परिस्थिति की आवश्यकता हों, आहूत करना एवं संघ के सामान्य हित एवं उत्थान के लिए निर्देश जारी करना।
- 3- संघ शाखा के पदाधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट तात्कालिकता के मामलों में निर्णय देना, विशेष रूप से किसी विशेष परिस्थितियों में विद्रोही

गतिविधियों के मामलों में ऐसी ईकाई के सदस्यों के कल्याण के लिए अल्पकालिक सरंक्षकों की नियुक्ति करना तथा प्रान्तीय कार्यकारिणी द्वारा अनुमोदित होने के लिए उचित समझा जा सके, ऐसे आवश्यक आदेश पारित करना।

4- व्ययों का मंजूर देना।

ब- उपाध्यक्ष

1- अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसकी कर्तव्यों का निर्वहन करना।

2- अध्यक्ष द्वारा सौंपा गये कर्तव्यों का पालन करना।

स- महासचिव

1- संघ एवं कार्यकारिणी समिति की बैठक का कार्यवृत्त लेना और संघ की ओर से सदस्यों की शिकायतों का निवारण करने के लिए अधिकारियों से समस्त पत्राचार करना और कार्यकारिणी समिति एवं अध्यक्ष के निर्देशों के अधीन परिस्थितियों की आवश्यकता के अनुसार अन्य पत्राचार करना।

2- समस्त बैठकें आयोजित करने हेतु नियम 8 के उपनियम अ के खण्ड 1 के तहत अध्यक्ष द्वारा निर्देशित समस्त प्रकार की बैठकें आहूत करना, सभी खातों का रखना, संघ के मामलों पर एवं अध्यक्ष द्वारा विधिवत् अनुमोदित व्ययों का पर्यवेक्षण करना, संघ के अभिलेखों को मुख्यालय पर विधिवत् प्रकार से सुरक्षित रखना।

3- जब चन्दा अप्राप्त हो, तब संघ शाखा का ध्यान आकर्षित कराना एवं ईकाईयों के सदस्यों के हित के सामान्य महत्व के अन्य मामलों में संघ का दौरा करना और ऐसी ईकाईयों में विशेष बैठकों को आहूत करना, सदस्यों को संगठित करने एवं उनके मध्य सहयोग की भावना का सृजन करना और स्थानीय स्तर पर उचित रूप से सदस्यों की शिकायतों का निवारण करने का प्रयास करना।

4— अध्यक्ष की गतिविधियों को व्यवस्थित करना और इस तरह के अन्य कार्यवाहियों, जोकि अध्यक्ष की अनुमति से अग्रसारित की गयी हों, का संचालन करना, संघ की ओर से एवं संघ के विरुद्ध दायर किये गयेवादों पर संघ की तरफ से याचिका हस्ताक्षरित एवं सत्यापित करना और जहां संघ अपने कार्यों एवं अन्य कार्यवाहियों को संचालित करता है, ऐसे पंजीकृत मुख्यालय पर संघ की ओर से सम्मन एवं नोटिस प्राप्त करना।

5— “अप्रत्याशित व्यय” शीर्षक के अतिरिक्त अनुमोदित बजट आवंटन की सीमा तक स्वविवेकानुसार व्यय करना। “अप्रत्याशित व्यय” शीर्षक के अन्तर्गत व्यय कार्यकारिणी समिति की पूर्व स्वीकृति के साथ किया जाएगा, किन्तु आकस्मिक परिस्थिति में रु. 50/- की सीमा तक अध्यक्ष की स्वीकृति के साथ व्यय किया जा सकता है।

6— अध्यक्ष के परामर्श से वार्षिक बजट तैयार करना।

7— चन्दा प्राप्त कर रसीद जारी करना एवं कोषाध्यक्ष को प्राप्त कराना।

★ द— संयुक्त सचिव एवं अन्य सचिव जैसे संगठन और सांस्कृतिक सचिव: ★

1— महासचिव का सहयोग करना।

2—★ अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सामान्य सचिव द्वारा सौंपे गए कर्तव्यों का पालन करना। ★

य— कोषाध्यक्ष: ★

1— कोषाध्यक्ष चन्दा प्राप्त करेगा रसीदों को जारी करेगा, खाता बनाएंगे, वाउचर को संरक्षित करेगा और अध्यक्ष की स्वीकृति के साथ व्यय एवं अन्य भुगतानों का भुगतान करेगा। वह बैंक में प्राप्त सभी रकम रु. 50/- हाथ में नगद रखते हुये जमा करेगा।

2— वह लेखा परीक्षक द्वारा लेखा परीक्षा का लेखा-जोखा लेगा और अध्यक्ष के समक्ष खातों को बन्द करेगा।

र- लेखापरीक्षक:

लेखा परीक्षक संघ के खातों की त्रैमासिक, अर्द्धवार्षिक या वार्षिक जैसा कि उनके लिए सुविधाजनक हो, जांच करेगा और बैठक में तथा सम्मेलन में लेखा परीक्षा का प्रमाण-पत्र देगा।

लेखा परीक्षक अध्यक्ष को खातों पर अपनी टिप्पणी यदि कोई हो तो प्रेषित करेगा।

9:- चन्दा

जब तक अन्यथा निर्धारित नहीं किया गया, प्रत्येक सदस्य की सदस्यता प्रति माह 1 रुपये होगी।

10:- चन्दे की वसूली:-

अ- इन नियमों के नियम 4 (बी) और 9 के संवैधानिक प्राविधानों के तहत, प्रत्येक सदस्य को 1/- रुपये या संघ शाखा द्वारा निर्धारित मासिक चन्दा निर्धारित समय से सेवा में प्रवेश करने की तिथि से सचिव या संघ शाखा के कोषाध्यक्ष को नियमित रूप से भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा अथवा संघ शाखा के निर्णयानुसार प्रत्येक वर्ष के लिए पूर्व-भुगतान इस प्रकार के भुगतान के लिए कोषाध्यक्ष द्वारा केवल वैध रसीद के निर्गमन पर किया जा सकता है। कोषाध्यक्ष चन्दे के वसूली एवं प्रत्येक चन्दे के रखरखाव के लिए उत्तरदायी होगा। किसी भी सदस्य को नियम 4 (बी) के प्राविधानों के अधीन सभी अवशेषों के पूर्ण करने तक संघ का सदस्य होने से रोक दिया जाएगा एवं उस ईकाई के किसी भी पदाधिकारी के लिए अपनी उम्मीदवारी रखने के लिए अवसर नहीं दिया जाएगा।

ब- मासिक चन्दे से प्राप्त धन को जिला मुख्यालय में बैंक के बचत खातों में जमा किया जाएगा, जिसमें अध्यक्ष के कोषाध्यक्ष एवं स्थानीय ईकाई के कोषाध्यक्ष द्वारा 50 रुपये की शेष राशि रखते हुए किया जाएगा।

11:—

अ— संघ शाखा के अध्यक्ष कम से कम अपनी प्राप्ति के 30 प्रतिशत राशि को प्रान्तीय संघ को नियमित रूप से मासिक या त्रैमासिक जैसा संघ शाखा तय किया जा सकता है, बैंक या बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से "दीवानी न्यायालय कर्मचारी संघ, उ.प्र." मुख्यालय पर देय के नाम भुगतान करने के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे। यह राशि वैध पावती प्राप्त करने के उपरान्त कोषाध्यक्ष या महासचिव को नगद रूप में भुगतान की जा सकती है।

ब— वह संघ शाखा, जो प्रान्तीय संघ को मासिक चन्दा देने में असमर्थ रहती है, संघ में अपने अधिकार को खो देगी, किन्तु वह ऐसी चूक की तिथि से छः माह के अन्दर अपना समस्त बकाया का भुगतान करने पर पूर्व के समान अधिकारों एवं विशेषाधिकारों का उपभोग करने की हकदार होगी। संघ शाखा, जिस पर अवशेष है, अवशेषों के भुगतान किए जाने तक, किसी भी लाभ की हकदार न होगी, जैसे— प्रान्तीय सभा के लिए निर्वाचन में मतदान करना और अपने किसी सदस्य को उम्मीदवारी रखने के लिए आगे लाना अथवा कार्यकारी समिति की बैठक या सम्मेलन में स्थानीय शिकायतों के मामले में प्रतिनिधित्व करना। संघ शाखा के मासिक चन्दे एवं बकाएदारों के स्पष्ट जानकारी देने के लिए यदि कोई है तो, कोषाध्यक्ष का उत्तरदायित्व होगा कि जब कभी भी आम सभा की बैठक आयोजित की जाती है, में कार्यकारी समिति के समक्ष प्रत्येक संघ शाखा के खाते को प्रस्तुत करें। कार्यकारी समिति को ऐसे कृत्यों को चेतावनी देने एवं अस्वीकार करने का अधिकार है और उपरोक्त उप-नियम के अनुसार आदेश पारित कर सकता है, जो सभी संघ शाखा के लिए बाध्यकारी होगा।

12:— संघ शाखा से प्राप्त प्रेषित धन को बैंक के बचत बैंक खाते में मुख्यालय में 50/-रुपए की शेष राशि रखते हुये जमा किया जाएगा।

13:— सामान्य नियम:—

अ— प्रत्येक संघ शाखा प्रत्येक सदस्य के पूर्ण नाम और आधिकारिक पद वाले सदस्य का एक रजिस्टर को बनाएगा और इसकी एक प्रति महासचिव को प्रेषित करेगा।

ब— संघ शाखा इस बात का पालन के लिए उत्तरदायी है कि ऐसी ईकाईयों की निधि, जिसमें विशेष रूप से सदस्यों के चन्दा, लाभार्थियों सहित शामिल हों, जो यदि ईकाई के सदस्यों के लाभ एवं हित में किया गया हो, को किसी ऐसी वस्तुओं पर व्यय नहीं किया जाएगा, जो सदस्य एवं संघ के हित में न हो। संघ शाखा की खाताबही का सही एवं नियमित रूप से रखरखाव किया जाएगा और स्थानीय ईकाई के किसी भी सदस्य द्वारा निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेगी और उसका एक सत्य उद्धरण ईकाई के अध्यक्ष द्वारा विधिवत प्रतिहस्ताक्षरित कर जमा कर प्रान्तीय पदाधिकारियों के समक्ष इनके संगठित होने पर अथवा त्रैमासिक प्रस्तुत किया जाएगा। बशर्तें खाताबहियों को किसी भी प्रान्तीय कार्यालय पदाधिकारी के समक्ष रखा जाएगा जो इस शाखा या शाखाओं का परिशीलन एवं जांच हेतु दौरा करेंगे। इस प्रकार पदाधिकारी को अगर किसी भी अनियमितता और विसंगतियों का खातों में पता चलता है, जो मुख्यालय को मामले की रिपोर्ट करेगा।

स— संघ शाखा निर्वाचित प्रान्तीय पदाधिकारियों, कार्यकारिणी समिति के सदस्यों एवं क्षेत्रीय संगठन सचिवों के उचित खर्चों को वहन करने के लिए उत्तरदायी होगी, यदि वह ऐसी किसी शाखाओं सम्बन्धित हों या संघ एवं सदस्य के हितार्थ या किसी बैठक में शामिल होने के लिए किसी भ्रमण पर हों अथवा प्रतिनियुक्ति में शामिल हों। यह प्राविधान स्थानीय पदाधिकारियों के मामले में भी यथाचित परिवर्तनों सहित लागू होगा जो संघ के काम के लिए मुख्यालयों की यात्रा करने या बैठकों में भाग लेने के लिए हुआ हो।

14:—

पदाधिकारियों का चुनाव सम्मेलन में किया जाएगा। यदि अध्यक्ष एवं महासचिव का चुनाव अलग-अलग जिले से होता है, तो संयुक्त सचिवों में से एक उसी जिले का चुना जाएगा जहां अध्यक्ष सामान्य

तौर पर रहता है और इसी प्रकार कोषाध्यक्ष भी। अन्य पदाधिकारी विभिन्न जिलों से होंगे।

बशर्ते कि सम्मेलन में आयोजित निर्वाचन में कोषाध्यक्ष के पद के मामले को छोड़कर एक जिले से केवल एक पदाधिकारी ही अपनी उम्मीदवारी रखेगा, यदि अध्यक्ष या महासचिव इस तरह के जिले से चुनाव लड़ते हैं। यह भी प्रदत्त है कि संघ शाखाओं ने अपने जिलों से प्रान्तीय चुनाव में किसी भी पद के किसी विशेष सदस्य की उम्मीदवारी का प्रस्ताव करने के लिए उपरोक्त प्रावधान का अनुपालन सुनिश्चित किया होगा।

15:— कार्यकारिणी समिति की एक असाधारण बैठक अध्यक्ष, महासचिव अथवा कार्यकारिणी के किसी भी तीन सदस्यों द्वारा बुलाई जा सकती है।

16:— प्रान्तीय संघ का सचिव "महासचिव" होगा।

17:— खातों का वार्षिक अंकक्षण किया जाएगा अथवा जैसा अंकक्षक के लिए संभव हो।

18:— खातों को सम्मेलन में विधिवत् अंकक्षण के लिए रखा जाएगा।

19:— संघ अथवा सदस्यों के हितार्थ किए गए दौरे के लिए पदाधिकारियों को उनके उचित खर्च दिए जाएंगे।

प्रान्तीय संघ के संस्थापक, अध्यक्ष, महासचिव और मुख्यालय के संयुक्त सचिव, उन्हें सम्मेलन में भाग लेने, कार्यकारी समिति की बैठक या कार्यकारिणी की बैठक या प्रतिनियुक्ति में भाग लेने के लिए उनके भी व्यय दिए जाएंगे।

क्षेत्रीय संगठन सचिव अपने व्यय उनके दौरे किये जाने वाली संघ शाखाओं से एवं यदि किसी बैठक या सम्मेलन में विशेष रूप से आमंत्रित किए जाने पर उनकी संबंधित संघ शाखाओं से चार्ज करेंगे।

अध्यक्ष एवं महासचिव ऐसे संघ शाखा की यात्रा कर सकते हैं, जिसे वे संघहित में या उस विशेष शाखा में सह-भागिता को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक मानते हैं। वे निमंत्रण पर किन्तु उसी शाखा के खर्च पर भी जा सकते हैं।

20:—

संघ शाखा का गठन

संघ शाखा का गठन होगा, जिसमें साधारणतया अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, एक सचिव, एक संयुक्त सचिव, एक कोषाध्यक्ष और कार्यकारी समिति के 6 सदस्य, उस संघ के सदस्य (उसके पदाधिकारियों सहित) के बीच निर्वाचित एक अंकेक्षक होते हैं। हालांकि, यदि आवश्यक हो तो संघ शाखा, अधिक पदाधिकारी और कार्यकारी समिति के सदस्य चुन सकती है।

यदि कुछ जनपदों, जहाँ बाह्य न्यायालय है, अध्यक्ष अपने पदाधिकारियों के परामर्श से इस प्रकार के बाह्य न्यायालयों में सही प्रकार से कार्य करने हेतु, शामिल सदस्यों को संगठित और एकजुट करने के लिए उपाध्यक्ष एवं संयुक्त सचिव प्रान्तीय अध्यक्ष के अनुमोदन के अधीन नामित किया जाएगा। नामित संयुक्त सचिव कोषाध्यक्ष के कर्तव्यों का भी पालन करेंगे औ जिला मुख्यालय को नियमित रूप से चन्दा जमा करेंगे।

21:—

सम्मेलन

सम्मेलन में निम्नलिखित कार्य किए जाएंगे:—

- 1— विषय विचारिणी समिति गठित करना, जो प्रान्तीय कार्यकारी समिति एवं संघ शाखाओं से प्राप्त मामलों एवं प्रस्तावों आदि पर विचार करेगी।
- 2— विषय विचारिणी समिति द्वारा इस सम्बन्ध में भेजे गए प्रस्तावों पर विचार करना एवं समाधानों को पारित करना।
- 3— पदाधिकारियों, कार्यकारिणी के सदस्यों एवं कार्यकारी समिति के सदस्यों को चुनना।
- 4— वार्षिक रिपोर्ट एवं खातों तथा आगामी वर्ष के लिए बजट पर विचार करना।
- 5— सामान्य उत्थान के लिए तरीके और साधनों को तैयार करना।
- 6— प्रान्तीय कार्यकारिणी, कार्यकारी समिति या जिला संघ शाखा द्वारा संदर्भित मामलों को निपटाना।

22:—

उपनियम

- ★ 1.अ— संघ का सत्र एक अप्रैल से प्रारम्भ होता है और संघ शाखाओं के पदाधिकारियों के चुनाव 31 मार्च तक या अन्तिम चुनाव के एक वर्ष के भीतर किए जा सकते हैं। संघ शाखा के चुनाव की अवधि प्रान्तीय अध्यक्ष द्वारा कम अथवा अगले वर्ष तक के लिए बढ़ायी जा सकती है।
- ★ ब— आगामी वर्ष के लिए चुनाव मार्च तक कराने हेतु हर संभव प्रयास होने चाहिए तथा ऐसे पदाधिकारियों की विवरण, संघ शाखा के कुल सदस्यों की संख्या एवं अंकेक्षित खाता विवरण संघ के केन्द्रीय सभा को सरकार को 1 जुलाई से पूर्व प्रेषित करने हेतु प्रस्तुत करना चाहिए। यदि कुछ अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण इस तरह के चुनाव मार्च तक आयोजित नहीं किए जाते हैं, तो निर्वाचित पदाधिकारियों को एक वर्ष या अन्तिम चुनाव से पहले प्रान्तीय

अध्यक्ष/महासचिव या प्रान्तीय सत्रों तक मध्य तक अपने कार्यकाल को बनाये रखने की अनुमति दी जा सकती है।

स— प्रान्तीय संघ की सामान्य बैठक अप्रैल माह में आयोजित होगी, जिसमें निम्नांकित कार्य किए जा सकते हैं:—

- 1— संघ द्वारा कृत कार्यों की आख्या एवं अंकक्षित खातों के विवरण प्राप्त करना।
- 2— पदाधिकारियों एवं कार्यकारी समिति के चुनाव हेतु तिथि एवं माह निर्धारित करना।
- 3— इस प्रकार के अन्य कार्य, जिन्हें अध्यक्ष की अनुमति से अग्रसारित किया गया है, को संचालित करना।
- 2— अनुमोदित न हुए प्रस्तावों को दर्ज नहीं किया जाएगा।
- 3— संघ के मामलों पर निर्णय बहुमत के द्वारा किया जाएगा, मतों के समान होने की स्थिति में, अध्यक्ष अपने मताधिकार का प्रयोग करेगा।
- ★ 4— कोई भी प्रस्ताव, अस्वीकृत होने के उपरान्त तीन माह तक ★ विचरित नहीं होगा।
- 5★ प्रत्येक बैठक की कार्यवाही पुष्टिकरण के लिए अगली बैठक के लिए रखी जाएगी और सम्मेलन की कार्यवाही सभी जिला संघ शाखाओं को परिचालित की जाएगी। ★
- 6— वार्षिक आय का दसवां भाग, यदि संभव हो तो, आरक्षित निधि के लिए अलग रखा जायेगा।
- 7— यदि कोरम में एक बैठक आयोजित की जाए, तो यह आधे घंटे के बाद स्थगित कर दी जाएगी, सचिव एक सप्ताह में एक नया नोटिस जारी करेंगे। अगर दूसरी तिमाही में कोरम फिर से अधूरी रहता होता

है, तो उपस्थित सदस्य आधे घंटे की प्रतीक्षा के उपरान्त कार्यवाही का संचालन करेंगे।

8— संघ की निधि का प्रयोग कार्यकारी समिति के नियन्त्रण के अधीन निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए किया जाएगा:—

1— छपाई एवं प्रकाशन व्यय

2— डाक व्यय

3— बैठक व्यय

4— कार्यालय की आवश्यकताएं

5— यात्रा व्यय

6— अन्य विविध एवं अप्रत्याशित व्यय

9 अ— नियम 5 ब और इसके प्रावधानों के अधीन, वर्णित नियमों में बताए गए प्रान्तीय पदाधिकारियों के चुनाव एक सम्मेलन एवं सामान्य सभा में गुप्त मतपत्र के द्वारा आयोजित किए जाएंगे। हालांकि सदस्यों के मध्य विश्वास को प्रेरित करने के लिए सर्वसम्मति से पदाधिकारियों का चुनाव करने के लिए सम्मेलन से पहले विषयांकित समिति द्वारा एक प्रयास किया जाना चाहिए।

ब— सम्मेलन में ऐसे शाखा चुनावों द्वारा मनोनीत प्रतिनिधियों के अधिकतम पाँच सदस्यों तक केवल ऐसी संघ शाखाओं और ऐसे सदस्यों को नामित करने और उन चुनावों में अपना मत देने हेतु अधिकृत किया जाएगा, जो नियम 4 द एवं नियम 11 ब के प्रावधानों को पूर्ण करते हों।

स— उम्मीदवारों को चुनाव के लिए अपना नामांकन जमा करने के दौरान सम्मेलन में उपस्थित प्रतिनिधियों में से एक के हस्ताक्षर का प्रस्ताव प्राप्त करना होगा और उस प्रस्ताव को अपने पूर्ण नाम व विवरण के

साथ कम से कम दो प्रतिनिधियों द्वारा अनुमोदित करना होगा तथा नामांकन प्रपत्र विधिवत भरकर चुनाव के आयोजन के अधिकारियों को सौंप दिया जाएगा बशर्ते कि ऐसे उम्मीदवार ने नामांकन समिति के द्वारा निर्धारित नामांकन शुल्क नामांकन प्रपत्रों के साथ चुनाव आयोजक प्राधिकारी को जमा कर दिया हो। उम्मीदवार को अपना नामांकन फॉर्म प्रस्तुत करते समय अपने हस्ताक्षर के तहत प्रमाणित करना होगा कि उसने अपने पूरे बकाया राशि को शाखा में दे दिया है। उपर्युक्त किसी भी शर्त को पूरा नहीं करने वाले नामांकन पत्रों को पूर्ण रूप से अस्वीकार कर दिया जाएगा।

द- संघ शाखा या केन्द्रीय निकाय में कार्यालय पदाधिकारियों के चुनाव के बाद, सभी निर्वाचित और नामित पदाधिकारी निम्नलिखित रूप में हिन्दी में संगठन को संरक्षित और मजबूत करने के लिए समर्पण के साथ काम करने की शपथ ग्रहण करेंगे:-

“मैं दीवानी न्यायालय कर्मचारी संघ, उत्तर प्रदेश का सदस्य पद के रूप में निष्ठा से शपथ लेता हूँ कि मैं संघ के प्रति निष्ठावान एवं कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में सदैव तत्पर रहूँगा एवं तन, मन, धन से कर्मचारी हितों को सुरक्षित रखने और सुदृढ़ करने के लिए पूर्ण निष्ठापूर्वक कार्य करता रहूँगा।”

यदि स्थानीय ईकाई का कोई भी पदाधिकारी सम्मेलन में केन्द्रीय निकाय में चुने जाते हैं तो उसे शपथ लेने से पूर्व या तो स्थानीय ईकाई या केन्द्रीय निकाय में से एक पद का चुनाव कर छोड़े गए पद के लिए त्याग-पत्र देना होगा। परन्तु केन्द्रीय सभा के पदाधिकारी केन्द्रीय कार्यकारिणी के पदेन सदस्य होंगे और केन्द्रीय कार्यकारी अधिकारी अपने संबंधित शाखा की स्थानीय ईकाई की कार्यकारिणी के पदेन सदस्य होंगे, बशर्ते वह केन्द्रीय सभी में पद बरकरार रखता है। लेकिन ऐसे पदाधिकारी अपनी स्थानीय ईकाईयों की ऐसी बैठकों की अध्यक्षता नहीं करेंगे, जिसमें प्रान्तीय कार्यकारिणी की गरिमा और नीति

को बनाए रखने के लिए हड़ताल आदि के सम्बन्ध में कोई फैसला की संभावना हो।

10. पदाधिकारी और कार्यकारिणी समिति या अध्यक्ष को किसी विशेष उद्देश्य के लिए एसोसिएशन के सदस्यों में से एक उप-समिति नामित कर सकते हैं।
11. बाहरी सज्जन को भी पदाधिकारियों के निर्वाचन हेतु आम सभा या सम्मेलन का अध्यक्ष चुना जा सकता है और निर्वाचन अधिकारी के अधिकारों की समस्त शक्तियाँ बनी रहेंगी। ऐसे प्राधिकारी जो विषयांकित समिति में सम्मेलन से पूर्व नियुक्त होंगे, चुनाव आयोजित करते समय संघ के नियमों और उप-नियमों की प्रक्रिया और दिशा-निर्देशों को अपनाना होगा। यदि वह चाहे तो वह पूरे कार्यक्रम के उचित निष्पादन के लिए किसी अन्य व्यक्ति या सदस्य की सहायता ले सकता है।
12. प्रान्तीय निकाय में शामिल होने वाली प्रतिनिधित्व शाखाओं पर कार्यकारी समिति की एक असाधारण बैठक बुलाई जा सकती है।
13. सम्मेलन की वार्षिक आम बैठक में, इसके औपचारिक रूप से उद्घाटन के बाद, एक विषय समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें प्रत्येक उपस्थित शाखा संघ के एक प्रतिनिधि और उस जगह के तीन सदस्य होंगे जहां वार्षिक सम्मेलन होता है। उन सदस्यों को अध्यक्ष की अनुपस्थिति में से एक को अध्यक्ष चुनना होगा, जो चर्चा के बाद तैयार कर सम्मेलन की सामान्य बैठक के खुले सत्र से पहले स्वीकृति के लिए प्रस्ताव रखा जाएगा।
14. एक सदस्य को सचिव की उपस्थिति में किसी भी रिकॉर्ड को देखने और निरीक्षण करने का अधिकार है लेकिन इसमें कोई टिप्पणी नहीं देगा। वह अपनी टिप्पणी पृथक से दे सकता है।
15. संघ के पत्राचार को निम्नानुसार वर्गीकृत किया जाएगा:-

1- सदस्यता एवं चन्दा

2- बैठकें

3- प्रतिनिधित्व एवं पता

4- खातें

5- विविध

16. समस्त कागजात को पत्राचार या खाते पूर्ण होने के कम से कम एक वर्ष के लिए रखा जाएगा, जिसमें से निम्नलिखित को 10 वर्षों तक रखा जाएगा:-

1- संघ के सदस्यों का रजिस्टर

2- कार्यवृत्त पुस्तक

3- वार्षिक रिपोर्ट्स

4- रोकड़बही

अन्य कागजात जब नष्ट होने के लिए होंगे तब उन्हें अध्यक्ष के समक्ष आदेशार्थ रखा जाएगा।

17. प्रान्तीय संघ का चन्दा प्रत्येक संघ शाखा की प्राप्तियों का 30 प्रतिशत होगा।

18. संघ शाखा के लिए नियमों एवं उपनियमों का पृथक से कोई समूह नहीं है। संघ शाखा संघ द्वारा व्यावहारिक रूप से तैयार किए गए नियमों और उपनियमों के अनुसार कार्य करेगा। स्थानीय ईकाई में चुनाव आयोजित करते समय शाखा उपनियमों के पैरा 1, 9 और 11 में उल्लिखित उसी प्रक्रिया को अपनायेगी और यदि यह निर्णय लिया गया है, तो वे अपने जिला न्यायाधीशों से अनुरोध कर सकते हैं कि वे कुछ न्यायिक अधिकारी चुनाव का संचालन करने के लिए नियुक्त

करें। यदि आवश्यकता हो तो, संघ शाखा अध्यक्ष या महासचिव को शांतिपूर्ण वातावरण में ऐसे चुनाव कराने के लिए चुनाव के समय एक पर्यवेक्षक भेजने का अनुरोध कर सकती है। बशर्ते कि आगामी चुनाव के सम्बन्ध में शाखाओं में पारित प्रस्तावों को मुख्यालय को अध्यक्ष की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए समय-समय पर भली-भांति औपचारिक रूप से प्रस्तुत करना होगा।

लोप एवं संग्रह

अ- यदि इन नियमों के किसी भी प्रावधान की व्याख्या के लिए कोई प्रश्न उत्पन्न होता है, तो इसे कार्यकारिणी के समक्ष रखे जाने के लिए मुख्यालय में भेज दिया जाएगा, जिसका निर्णय अन्तिम होगा।

ब- वर्ष 1978 में प्रकाशित दीवानी न्यायालय कर्मचारी संघ, उत्तर प्रदेश के नियमावली के नियम दिनांक 09/10 अक्टूबर 1982 को मुरादाबाद में आयोजित 32वें प्रान्तीय सम्मेलन के समापन के साथ में जैसा कि पुनरावर्ती और संशोधित किया जाएगा प्रभावी होंगे।

★ नोट- प्रकाशन के पूर्व संशोधित नियम और उप-नियम नए चुने गए अध्यक्ष और महासचिव द्वारा जिस दिन वे अपने नये पदों के लिए शपथ लेते हैं, हस्ताक्षर किए जाएंगे। ★

‘श्रमैव – जयते’